(७) पुन्हाना

(८) चित्रकूट

(९) शोरापुर

(१०) करमला

(११) नारायणपेट टाउन

(१२) औरैया

(१३) फ़ैजपुर

(१४) खैरागढ़

(१५) ससवाद

(१६) इंडस्ट्रियल स्टेट, ग्वालियर

(१७) इंडस्ट्रियल स्टेट, जबलपुर।

Soil Conservation in Manipur

1879. Shri L. Achaw Singh: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the progress made in regard to the soil conservation programme in Manipur during the Second Five Year Plan so far; and

(b) whether the scheme has been successful in the hills of Manipur?

The Deputy Minister of Agriculture (Shri M. V. Krishnappa): (a) and (b). There is no soil conservation programme in the Second Five Year Plan for Manipur. There is, however, a scheme for the control of shifting cultivation under Tribal Welfare programme, which started in 1957-58 and is progressing successfully. The target is to bring 2,000 acres of land in hill areas under Terrace Cultivation and to open 4 Demonstration-*cum*-Experimental Agricultural Farms. Till the end of 1958-59 two farms have been established and 690 acres of land have been brought under terracing. During the current year, it is proposed to open one more farm and to bring 810 acres of land under terrace cultivation.

Map in All India Railway Time Table

1880. Shri A. M. Tariq: Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the map affixed to All India Railway Time Table and state the reasons for omitting Chandigarh, the Capital of Punjab from it?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): Chandigarh station was not included in the map in the All India Time Table in force from 1-10-1959 due to an oversight. Arrangements have, however, been made to rectify this in the All India Railway Time Table which will come into force with effect from 1-4-1960.

Goods Lost in Transit

1881. Shri S. N. Ramaul: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that from the 1st September, 1959 the Railway claimants of goods lost in transit are required to submit power of attorney on Rs. 2 stamp paper duly registered or attested by a magistrate if the claim is lodged through a representative;

(b) if so, the reasons for this restiction; and

(c) the authority under which the restriction has been imposed?

The Deputy Minister of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) to (c). It has been prescribed that when a claim is preferred by any person other than the owner of the goods, it is necessary for the claimant to send a valid power of attorney in his favour from the owner, on stamped paper for the appropriate value.

This action has been taken as a necessary precaution in the interests of the Railways to ensure that the claims made are *bona fide*.

महिबपुर स्टेशन

१८८२. { श्री मानकभाई अग्रवाल : / श्री क० भे० मालवीय : / श्री कालीकाला :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के महिदपुर रोड स्टेशन पर एक गोदाम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या लागत आई है ; और

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि उसमें पुराना माल लगाया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) ३८,३५८ रुपये ।

(ग) जी हां, पुराने माल गोदाम का कुछ काम लायक सामान इस्तेमाल में लाया गया है ।

महिदपुर और घोसला स्टेशनों पर नमक की बोरियां

१८८३ { **श्री मानकभाई अग्रवाल :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के महिदपुर रोड स्टेशन और उज्जैन-आगर रेलवे के घोसला स्टेशन पर नमक भूमि पर खुला पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना नमक गल गया है; और

(ग) इसके इस प्रकार स्वामीहीन पड़ा रहने के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी): (क) से (ग). तक महिदपुर रोड स्टेशन के माल गोदाम में नीलाम के लिये नमक के १० बोरे पड़े हुए हैं । इसका अन्दाज नहीं लगाया गया है कि नुकसान कितना हुआ है । इन बोरों पर किसी का पता-ठिकाना नहीं है, अर्थात् ये गलत पते पर भेजे गये हैं और इसलिये इनकी बुकिंग का ब्यौरा मालूम नहीं है । घोसला स्टेशन पर नमक नहीं पड़ा हुआ है ।

मध्य प्रदेश में बाढ़ें

१८८४. { **श्री मानकभाई अग्रवाल :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को उन बाढ़ों के नियन्त्रण के लिये जो प्रति वर्ष मध्य प्रदेश के मन्दसौर क्षेत्र को नष्टभ्रष्ट करती हैं, मध्य प्रदेश सरकार से कोई योजना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) उत्तर 'नहीं' में है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान के लिये बहुप्रयोजनीय योजनायें

१८८५. श्री भोगजी भाई : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के पिछड़े हुये क्षेत्रों में और विशेषतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा उदयपुर में छोटी बहुप्रयोजनीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन पर कितना व्यय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : अपेक्षित जानकारी संकलित की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Periyar Scheme in Madras State

1886. Shri Tangamani: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether the Periyar Scheme in Madras State for Irrigation will be